

## वन संरक्षण अधिनियम, १९८० का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

**परियोजना का नाम :** जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत सरकोट-देवसारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.895 हेक्टर आरक्षित, 1.069 हेक्टर सिविल, कुल 5.964 हेक्टर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

खण्डीय अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
थराली, (चमोली)

बन क्षेत्राधिकारी  
मध्य पिण्डर बन क्षेत्र, थराली  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय कानूनी विभाग  
प्रभागीय कानूनी विभाग